झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

पंचदश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 06.02.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
0.1.	02.	03.	04.
01.-	श्री दीपक बिरूवा स0वि0स0 श्री शशिभूषण सामाड़ स0वि0स0	दिनांक- 19 दिसम्बर 2018 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में नगर विकास विभाग ने राज्य के 4 प्रमण्डलों यथा संताल परगना, पलामू उतरी छोटानागपुर व कोल्हान में क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का गठन किया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक- 11 अप्रैल, 2007 को झारखण्ड राज्य के 12 जिले 03 ब्लॉक एवं 02 पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। 74 वें संविधान संशोधन के तहत Part Ix A के अनुच्छेद 243P से 243 ZC तक नगरपालिकाओं के गठन से संबंधित अनेक प्रावधान किये गये हैं तथा अनु0-243ZC के तहत् Part IX A के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिकाओं के प्रावधानों के विस्तार पर संवैधानिक रोक है। नगर विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक- एन-11025/10/2012-यु0सी0डी0 दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 द्वारा भी स्पष्ट किया है कि अनु0-243ZC(3) के तहत् अनुसूचित क्षेत्र में नगरपालिकाओं	नगर विकास एवं आवास

01.	02.	03.	04.
		के विस्तार संबंधी अधिनियम संसद द्वारा आज तक पारित नहीं किया गया है। परन्तु राज्य सरकार द्वारा संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी/संवैधानिक रोक होते हुए भी अनुसूचित क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का विस्तार कराना संविधान सम्मत प्रतीत नहीं होता है। अतः सरकार द्वारा संविधान के अनु0 243ZC के प्रावधानों के विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का विस्तार पर रोक लगाने हेतु सदन से मांग करते हैं, ताकि संविधान की गरिमा बनी रहे।	
02-	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी स0वि0स0	राज्य गठन हुए 18 वर्ष पूरा होने के साथ-साथ गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर सहित राँची तथा कई अन्य जिलों में मास्टर प्लान की अधिसूचना निर्गत कर सैकड़ों गाँवों को निगम क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। परन्तु उक्त जिलों के मास्टर प्लान अन्तर्गत जिन-जिन गाँवों को शामिल किया गया है उन क्षेत्रों में अब न तो सम्बंधित निगम द्वारा मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है और न ही पंचायतों द्वारा। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष सरकार ने राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का क्षेत्र विस्तार करने के साथ-साथ 04 चार नए प्राधिकारों का गठन भी कर दी है, लेकिन तत्कालीन राँची नगर पालिका जिसे वर्ष 2001 में राँची नगर निगम के रूप में अधिसूचित किया गया है जिसके क्षेत्र का सीमांकन 15 सितम्बर, 1979 को अधिसूचित करने के बावजूद अबतक पुनः सीमांकन कार्य नहीं किया गया है, जिसके कारण कई घनी आबादी का क्षेत्र जो पूर्णरूपेण शहरी है, अनेकों मूलभूत सुविधाओं से अबतक वंचित है क्योंकि जिस वक्त निगम का सीमांकन किया गया था उस समय सम्बंधित निगम क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 1.5 लाख थी जो अब बढ़कर लगभग 12 लाख के करीब	नगर विकास एवं आवास

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
		पहुँचने के बावजूद उक्त क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने आपको उपेक्षित महसूस कर रहे है। अतः सदन के माध्यम से उक्त गंभीर मामले की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
03-	श्री मनोज कुमार यादव स0वि0स0	हजारीबाग जिला के बरही अनुमण्डल मुख्यालय में व्यवहार न्यायालय बनाने का निर्णय राज्य सरकार के कैबिनेट में लिया गया है और वहाँ जेल का भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है। अतः बरही अनुमण्डल मुख्यालय में व्यवहार न्यायालय के भवन निर्माण कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	भवन निर्माण
04-	श्री नारायण दास स0वि0स0	"राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के तहत् राज्य में " Momentum JHarkhand " का आयोजन किया गया जिसमें सरकार को आशातीत सफलता भी मिली। इस संदर्भ में देवघर जिलान्तर्गत पूर्व में जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत बड़ें-बड़े उद्योग घराने की कम्पनियाँ स्थापित थी जो आज मरणासन्न पर एवं बन्द प्राय हो गये है इनमें टाटा, बिरला एवं अन्य प्रमुख कम्पनियाँ द्वारा स्थानीयों को रोजगार प्राप्त होता था, परन्तु अब न तो इस क्षेत्र में उद्योग है और न ही रोजगार के अवसर। वर्णित क्षेत्र को राज्यहित तथा युवाओं के हित में जसीडीह औद्योगिक ईकाई क्षेत्र में विशेष योजना द्वारा पुनर्जीवित किया जाय। यह क्षेत्र रेलमार्ग, सड़क मार्ग से व्यवस्थित और अब वायुमार्ग द्वारा विकसित हो रहा है। साथ ही कच्चे मालों की उपलब्धता भी राज्य में प्रचुर मात्रा में है" अतः सदन के माध्यम से सरकार से यह माँग करता हूँ कि उक्त वर्णित क्षेत्र को पुनर्जीवित करने हेतु एक विशेष कार्य योजना के तहत जसीडीह औद्योगिक ईकाई क्षेत्र को विकसित की जाय तथा युवाओं को रोजगार दिलाने की व्यवस्था की जाय इस ओर मैं सदन का ध्यानाकृष्ट कराता हूँ।	उद्योग

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
05-	श्रीमती बिमला प्रधान स0वि0स0 श्री शिवशंकर उराँव स0वि0स0	सैकड़ों वर्ष पूर्व छोटानागपुर, झारखण्ड से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में झारखण्ड एवं अन्य राज्यों से जा बसे आदिवासियों को अंडमान की पुलिस प्रताड़ित कर रही है। पुलिस द्वारा जंगल में बसे ऐसे आदिवासियों को स्थानीयता की मान्यता तो दूर जंगल में बसे ऐसे आदिवासियों को अस्थायी घर बनाने से रोका जा रहा है, जबकि ये साधारण रूप से घर बनाकर वर्षो से अंडमान में रह रहे है। यहाँ तक कि यदि कोई आदिवासी अपनी झोपड़ी के ऊपर एस्बेस्टस भी लगाता है, तो उसे लगाने नहीं दिया जाता है जिसके कारण जंगलों में बसे आदिवासियों में भय का माहौल व्याप्त है। ये आदिवासी सौ (100) वर्षो से अधिक समय से यहाँ रह रहे हैं। कभी कोई गलत काम नहीं किया । इन्हें वहाँ पर स्थानीय नियोजन में भी आदिवासी की मान्यता नहीं दी गयी है जिसके कारण इन्हें कोई सरकारी सुविधा भी नहीं मिलती है। ये लोग सदैव अंडमान द्वीप समूह के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते आये हैं। अतएव सदन के माध्यम से इस ओर सरकार का ध्यान-आकृष्ट कराते हुए झारखण्ड के आदिवासियों के हित में आवश्यक कार्रवाई करने की माँग करते है।	मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी

राँची,
दिनांक- 06 फरवरी, 2019 ई0।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2019-1170/वि0 स0, राँची, दिनांक- 05/2/19

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/नगर विकास एवं आवास विभाग/भवन निर्माण विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग एवं उद्योग विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/2/19

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2019-1170/वि0 स0, राँची, दिनांक- 05/2/19

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

05/2/19

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

05/02/19